48

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1247—एक/2005 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 12—05—2005 के द्वारा अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 361/2001—02/अपील

.....

मुन्नी बाई पत्नी हाबूलाल उर्फ आबूलाल,
निवासी—ग्राम उतनबाड़, तहसील व
जिला— श्योपुर म0प्र0

.....आवेदिका

विरूद्ध

लडडूलाल पुत्र ननैगा,
निवासी—ग्राम उतनबाड़, तहसील व
जिला— श्योपुर म0प्र0

.....अनावेदक

.....

श्री ए0के0 अग्रवाल, अभिभाषक, आवेदक

.....

आदेश

(आज दिनांक 4-10-2016 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा आदेश दिनांक 12—05—2005 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में यह है कि ग्राम उतनबाड़ स्थित विवादित भूमि सर्वे कमांक 338 रकवा 5 वीघा 5 विस्वा एवं सर्वे कमांक 531 रकवा 4 वीघा 14 विस्वा कुल किता 2 रकवा 9 वीघा 19 विस्वा मनसुख पुत्र गुलजी निवासी ग्राम उतनबाड़ के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर राजस्व अभिलेख में अंकित थी। मनसुख की मृत्यु दिनांक 06.10.1998 को होने के पश्चात उक्त भूमि का नामांतरण उसकी वैध वारिस मनसुख की पत्नी दोकरी के नाम नामांतरण पंजी पृष्ठ 18 पर पटवारी द्वारा दर्ज की गई। दोकरी की मृत्यु के पश्चात उसकी वैध वारिस मुन्नीबाई के नाम नामांतरण के पृष्ठ 21 द्वारा स्वीकार किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक

लऊडूलाल द्वारा अनुविभागीय, अधिकारी श्योपुर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर ने अपने प्रकरण कमांक 12/99–2000/अ.मा. में पारित आदेश दिनांक 04.06.2002 द्वारा अनावेदक द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त कर नामांतरण पंजी पृष्ठ 21 द्वारा किया गया नामांतरण भी निरस्त कर, प्रकरण धारा 177 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु प्रकरण नायब तहसीलदार वृत्त की ओर प्रत्यावर्तित कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध यह द्वितीय अपील न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष प्रस्तुत की गई है। जहॉ प्रकरण क्रमांक 361/2001–02/अपील माल पर दर्ज होकर दिनांक 12.05.2005 द्वारा पूर्ण जांच उपरांत आवेदिका मुन्नीबाई के नाम नामांतरण निरस्त किया गया । इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि मृतक भूमि स्वामी मृतका शंकरी के स्थान पर आवेदिका को वारिस मान्य करते हुये ग्राम पंचायत उतनबाड़ तहसील श्योपुर ने दिनांक 31.05.99 को विवादित भूमि पर नामांतरण किये जाने के आदेश दिये। मृतका शंकरी भूमिस्वामी ने दिनांक 07.12.98 को आवेदिका के हित में विवादित भूमि की वसीयत की है जो नोटरी द्वारा प्रमाणित की गई व सिद्ध की गई है । अनावेदक का मृतका भूमिस्वामी शंकरी का वारिस नहीं है उसने अकारण ही अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर के समक्ष बिना अनुमति प्राप्त किये ग्राम पंचायत उतनबाड़ के नामांतरण आदेश के विरूद्ध अवधि बाहर अपील अनुविभागीय अधिाकरी के समक्ष प्रस्तुत कर दी थी जो अनुविभागीय अधिकारी ने अस्वीकार करके निरस्त कर दी व साथ में आवेदिका का नामांतरण आदेश भी निरस्त कर दिया व बिल कोई शौ कौज नोटिस दिये व आवेदिका को श्रवण किये आवेदिका के विरूद्ध संहिता की धारा 177 के तहत कार्यवाही किये जाने के आदेश प्रदान कर दिये जो विधि के विपरीत होकर निरस्त किये जाने योग्य है । आवेदिका आवेदिका का नाम राजस्व अभिलेख में नामांतरण बतौर भूमिस्वामी हो चुका है तथा आवेदिका भूमि पर काबिज है । उन्होंने तर्क में यह भी बताया कि अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 12.05.2005 में लिखा है कि आवेदिका अनुपस्थित रही व अनावेदक के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है तो प्रकरण में आवेदिका को बिल श्रवण किये संहिता की धारा 177 के तहत उसके विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के आदेश पारित नहीं किये जा सकते थे। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त ने अपने अधिकारों का सही प्रयोग नहीं किया है । आवेदिका मृतका शंकरी तथा उसके पति मनसुखा के पास बचपन से रही है । उनकी कोई संतान न होने के कारण

आवेदिका को गोद लिया था वह आवेदिका की शादी भी की व कन्यादान लिया। मनसुखा की मृत्यु उपरांत विवादित भूमि शंकरी के नाम अर्थात शंकरी विवादित भूमि की भूस्वामी हुई । उसने आवेदिका के हित में वसीयत दिनांक 07.12.98 को की है जो नोटरी द्वारा प्रमाणित है । संहिता की धारा 177 के तहत आवेदिका के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का कोई प्रश्न ही उत्पनन्न नहीं होता है । अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 177 की गलत व्याख्या की है । अनुविभागीय अधिकारी ने अनावेदक की अपील अस्वीकार करके निरस्त कर दिया तो नामांतरण आदेश ग्राम पंचायत उतनबाड़ का आदेश निरस्त करने में कोई पर्याप्त अथवा कानूनी कारण नहीं था । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को स्थिर रखने में अपर आयुक्त द्वारा भूल की है व साक्ष्य से गलत नतीजा निकाला है । ऐसा आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । अतः निगरानी स्वीकार किया जावे ।

4/ अनावेदक के सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है ।

5/ मेरे द्वारा आवेदिका अभिभाषक के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीस्थ न्यायालय के अभिलेख का भलीभांति परिशीलन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से यह पाया गया कि ग्राम उतनवाड़ की विवादित भूमि कुल किता 2 रकबा 9 बीघा 19 विस्वा मनसुख पुत्र गुलजी धोबी की भूमिस्वामित्व की थी । उसके फौत हो जाने के बादी उसकी बेवा पत्नी शंकरी के नाम नामांतरण स्वीकार किया गया, जसमें मनसुख की पत्नी शंकरी के नाम नामांतरण पंजी क्र0 18 पर पटवारी द्वारा प्रस्तुत किये गये सजरा के अनुसार नामांतरण स्वीकार किया गया । जिसमें मनसुख की पत्नी के अलावा और कोई उसमें शामिल नहीं था तथा जब शंकरीबाई की मृत्यु हो गई तो उसका सजरा भी इसी पटवारी सोनेराम ने छः माह बाद प्रस्तुत किय और शंकरीबाई की वैध वारिस मुन्नीबाई को मानकर विवादित भूमि पर उसका नामांतरण स्वीकार किया गया । विचारण बिन्दु यह है कि जब मनसुख का सजरा उसी पटवारी सोनेराम ने न्यायालय में प्रस्तुत किया था और उस वक्त शंकरी बाई को निःसंतान बताकर उसका नामांतरण करने की शिफारिस की थी, किन्तु शंकरीबाई के फौत हो जाने पर इसी पटवारी द्वारा मुन्नीबाई को उसकी वैध वारिस होने की गलत जानकारी न्यायालय में प्रस्तुत की ओर ग्रात उतनवाड़ के सरपंच एवं पटवारी की इसी गलत जानकारी के आधार पर विवादित भूमि पर आवेदिका का नामांतरण स्वीकार किया गया, जबकि आवेदिका मृतका की कोई नहीं है। आवेदिका ने मृतका से जर्ये रजि0विक्रय पत्र से पांच बीघा भूमि क्रय की थी, जिसकी आढ़ में

वह समस्त भूमि अवैध रूप से हड़पना चाही है । प्रकरण में अनावेदक के गोदनामा आदि की भी कोई पुष्टि नहीं होती है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पूर्ण जांच उपरांत ही मुन्नीबाई के नाम नामांतरण निरस्त किया है । चूँकि आवेदिका व अनावेदक विवादित भूमि पर अपना हक सिद्ध ऐसी स्थिति में विवादित भूमि राजसात करने में अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । इसकी पुष्टि अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा की गई है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–05–2005 विधिसंगत होने से यथावत रखा जाता है तथा आवेदिका द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं महत्वहीन होने के कारण निरस्त की जाती है। प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर